कॉलेजियम बनाम एनजेएसी: एक विश्लेषण



03 23

। विवेक वार्ष्णय





कॉलेजियम बनाम एनजेएसी: एक विश्लेषण

। विवेक वार्ष्णय

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पिछले लगभग 30 वर्ष से हाई कोर्ट और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता आ रहा है। 1993 में अपने ही फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार सरकार से छीनकर अपने पास ले लिया था। न्यायाधीशों की नियुक्तयों का कॉलेजियम सिस्टम शुरू से ही विवादों में रहा है। इसकी मुख्य वजह नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी है। कॉलेजियम के बारे में कहा जाता है कि वह उन्हीं वकीलों को जज के लिए चुनते हैं जिनकी पेशेवर दक्षता से वह वाकिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों, विरष्ठ वकीलों के परिवार के सदस्यों को नियुक्तियों में तरजीह दी जाती है। वकालत के पेशे में खासा नाम कमाने और योग्यता के बावजूद अधिसंख्य वकील बेंच तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके लिए कोई लॉबिंग नहीं करता।

सोशल पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन इशु ब्रीफ

कैसे होती हैं कॉलेजियम सिस्टम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्तियां

कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को गिनाने से पहले हमें उसकी कार्यप्रणाली पर गौर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाई कोर्टों में कॉलेजियम के जिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार से की जाती है। हाई कोर्ट के चीफ जिस्टिस की अध्यक्षता में गठित कॉलेजियम में दो विरष्ठ जज शामिल होते हैं। यह कॉलेजियम उन वकीलों को जज बनाने की सिफारिश करता है जो हाई कोर्ट तथा ट्रायल कोर्ट में वकालत करते हैं। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के दो तिहाई स्थान सीधे वकीलों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं जबिक एक तिहाई जज जिला अदालतों से पदोन्नति पाकर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। हाई कोर्ट का तीन सदस्यीय कॉलेजियम जिन नामों की सिफारिश करता है, उस पर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की संस्तुति आवश्यक है। उसके बाद इसे केन्द्र सरकार के पास भेज दिया जाता है। केन्द्र सरकार गुप्तचर ब्यूरो(आईबी) की रिपोर्ट के साथ यह नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज देती है। सुप्रीम कोर्ट का तीन सदस्यीय कॉलेजियम सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद चुनिंदा नामों को सरकार के पास नियुक्ति के लिए भेज देता है। सरकार कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करती है लेकिन केन्द्र को यह अधिकार है कि वह किसी अमुक व्यक्ति को जज बनाने की सिफारिश को अस्वीकार कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अस्वीकृत नाम को दोबारा नियुक्ति के लिए भेजता है तो केन्द्र सरकार को इसे मानना पड़ेगा।

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का पांच सदस्यीय कॉलेजियम सर्वोच्च अदालत में नियुक्तियों की अनुशंसा करता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति पाने वालों में अधिसंख्य हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा जज होते हैं। लेकिन वकीलों को भी सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है।

एनजेएसी की क्यों पड़ी जरूरत

कॉलेजियम पर भाई-भतीजावाद के आरोपों के कारण ही केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग(एनजेएसी) के गठन के लिए संविधान में संशोधन किया। भारत के चीफ जिस्टिस की अध्यक्षता में छह सदस्यीय आयोग के गठन का कानून संसद से पारित किया गया। सीजेआई के अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केन्द्रीय कानून मंत्री तथा दो मनोनीत सदस्यों को प्रस्तावित किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सिमिति इन दो सदस्यों को नामित करेगी। सिमिति में लोक सभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई की भी अनुशंसा की गई थी।

कॉलेजियम सिस्टम के अस्तित्व में आने के बाद से ही केन्द्र की विभिन्न सरकारों ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कानून बनाने पर विचार किया लेकिन कोई भी सरकार इसे अमली-जामा नहीं पहना सकी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए वेंकटचलैया आयोग का गठन किया था। वेंकटचलैया आयोग ने 2002 में सरकार को पेश अपनी रिपोर्ट कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका जरूरी है। वेंकटचलैया आयोग ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का सुझाव दिया था। इस आयोग में भारत के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जज, केन्द्रीय कानून मंत्री तथा एक विख्यात शिक्सियत सदस्य होंगे। देश के चीफ जस्टिस से मशविरे के बाद राष्ट्रपति इस विख्यात व्यक्ति का आयोग में चयन कर सकते हैं।

मनमोहन सिंह सरकार ने भी राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 तैयार किया था। राज्य सभा की स्थाई सिमिति ने इस पर व्यापक चर्चा भी की थी। विधेयक में कहा गया था कि भारत के चीफ जिस्टिस की अध्यक्षता में नियुक्ति आयोग का गठन किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दो विरष्ठतम न्यायाधीशों के अलावा केन्द्रीय कानून मंत्री, दो विख्यात व्यक्तियों को भी आयोग में नामित किया जाए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सिमिति इन दो प्रमुख शिक्सियतों की चयन करेगी। सिमिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोक सभा में विपक्ष के नेता तथा सीजेआई भी होंगे। नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा और उन्हें दोबारा मनोनीत नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यह दोनों विधेयक कानून का रूप नहीं ले सके। संसद में पारित होने से पहले की सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया।

एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया

एनजेएसी अधिनियम, 2014 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का मत था कि इस कानून से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए जुडीशियरी की श्रेष्ठता जरूरी है। इसी से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। एनजेएसी न्यायपालिका की श्रेष्ठता को छीनता है क्योंकि इसमें सिर्फ आधे सदस्य ही जुडीशयरी से हैं। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री का आयोग का सदस्य होने से न्यायपालिका में कार्यपालिका का दखल होगा। यह संविधान के मुल ढांचे के खिलाफ है।

एनजेएसी अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि यदि छह सदस्यीय आयोग के दो सदस्य किसी नाम का अनुमोदन नहीं करते तो उस व्यक्ति को जज नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीजेआई के पद की प्रतिष्ठा के विपरीत माना। संविधान पीठ का मत था कि दो गैर न्यायिक सदस्यों की आपत्ति के कारण जज के लिए प्रस्तावित नाम को ठुकराया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि दो गैर न्यायिक सदस्यों को वीटो का अधिकार देना। इससे सीजेआई के पद की गरिमा को ठेस पहुंचेगी जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

अब क्या है विकल्प

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किस तरह का चयन आयोग बेहतर है। अभी तक तीन मॉडल सामने आ चुके हैं जिनका यहां जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पांच सदस्यीय नियक्ति आयोग के गठन की सिफारिश की थी। इसमें न्यायपालिका की श्रेष्ठता भी है और कार्यपालिका की भी अहम भूमिका बनी हुई है। इस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका में संवाद की कमी के कारण विवाद गहरा गया है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश को यदि अमल में लाया जाता है तो उससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवाद की स्थिति कायम होगी और नियुक्तियों को लेकर मतभेद आयोग की बैठकों में ही निपटाए जा सकते हैं।

6 | सोशल पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन इश् ब्रीफ

REFERENCES

1. The NJAC Vs collegium debate- Vedant Chaudhary, Economic and political weekly, Vol.58 issue no. 4, 28 January, 2023

- 2. Judicial Primacy and Basic Structure, A legal Analysis of NJAC judgment by Arghya Sengupta, Economic and Political Weekly, Vol.50, issue no. 48, November 2015
- 3. First Judge Case-SP Gupta and others Vs Union of India 1982, 2SCR 365(AIR 1982 SC, 149) Supreme Court of India, 1981
- 4. Second Judge Case-Supreme court Advocate-on-record Association and another Vs Union of India, Supreme Court of India, 1993
- 5. Law Commission 214th report(2008)
- 6. Article 124(2) and 217(1) of Constitution of India
- 7. Third Judge Case-Supreme court Advocate-on-record Association and another Vs Union of India, Supreme Court of India, 1998
- 8. W.P.(C) No.-000013-000013 / 2015, Supreme Court Advocates-On-Record Association Vs Union Of India, Supreme court of India Dated 16-10-2015
- 9. Report of National Commission to review the working of constitution of India, Headed by ex Chief Justice of India-MN Venkatchallia, Report submitted in 2002, Volume 1, Chapter7
- 10. The Judicial Appointments Commission Bill, 2013, 64th report of Department-related parliamentary standing committee on personnel, public grievances, Law and Justice



